

सं.01/01/2020-रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 7 जनवरी, 2021


कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की संवर्ग समीक्षा (Cadre Review) - भागीदार मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के पदों की संख्या निर्धारित मानदंड के अनुसार होने संबंधी सूचना मंगाए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भागीदार मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाना है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के निदेश के अनुसरण में, सीएसओएलएस की संवर्ग समीक्षा विचाराधीन है। संवर्ग समीक्षा में, संवर्ग को दक्षतापूर्ण ढंग से और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अन्य प्रासंगिक विषयों के साथ-साथ इस पहलू को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है कि संवर्ग के भागीदार कार्यालयों में हिंदी पदों की स्वीकृत संख्या वहां कार्यरत अनुसचिवीय (Ministerial) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में निर्धारित मानदंड (प्रति संलग्न - अनुलग्नक-1) के अनुसार है या नहीं। अपेक्षित सूचना संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-2) में उपलब्ध कराई जानी है।

यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि हिंदी पदों संबंधी मानदंड न्यूनतम अपेक्षित संख्या के लिए निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी कार्यालय में अनुवाद एवं संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में, राजभाषा के समुचित प्रयोग की प्रगति की निगरानी संबंधी कार्य की मात्रा के हिसाब से वर्तमान में स्वीकृत हिंदी पद पर्याप्त नहीं हैं तो उसका उल्लेख करते हुए औचित्य के साथ अपेक्षित पदों की मांग-सूचना संवर्ग नियंत्रक, राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराई जाए। हिंदी पदों की अतिरिक्त अपेक्षित संख्या का आकलन करते समय राजभाषा संबंधी कार्यभार के अनुपात में पदों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भावी पांच वर्षों का पूर्वानुमान किया जाना आवश्यक है ताकि अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य निरंतर सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके।

अतः सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त मदों से संबंधित सूचना अति तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि मानदंड एवं कार्य की मात्रा के आधार पर अपेक्षित हिंदी पदों का व्यावहारिक मूल्यांकन करके समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सके और इसे संवर्ग समीक्षा के प्रस्ताव में शामिल किया जा सके।



(डॉ मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2343 8130

सेवा में,

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संयुक्त सचिव, प्रशासन (संलग्न सूची के अनुसार)

कांज्ञा सं० 13035/3/95-रा०भा० (नीति एवं समन्वय), दिनांक 22.7.2004

विषय: केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक पुनः निर्धारित करना।

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहली बार हिंदी पदों के मानक राजभाषा विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035/3/80-रा० भा०(ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। ये मानक संशोधित करके दिनांक 5.4.1989 के कांज्ञा सं० 13053/3/88-रा०भा० (ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। न्यूनतम हिंदी पदों के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत पर बनाने पर विचार किया गया ताकि अनुवाद के साथ-साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पद सृजित किए जा सकें। तदनुसार, अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए जाते हैं:-

1.1 मंत्रालयों/विभागों के लिए

- (i) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)।
- (ii) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं जिसमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अर्थात् उप-निदेशक (राजभाषा)। राजभाषा विभाग के दिनांक 13.4.1987 के कांज्ञा सं० 13017/1/81-रा०भा०(ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर 12000-16500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (इसी वेतनमान में पहले निदेशक) का पद बनाया जा सकता है।
- (iii) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक कनिष्ठ अनुवादक, 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 कनिष्ठ अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

1.2 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

- (i) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी [सहायक निदेशक, (राजभाषा)]।
- (ii) (क) 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों कार्यालयों को छोड़कर)-18 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए दो-कनिष्ठ अनुवादक।

(ख) 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए

- (1) 18 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक। 76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक। 126 से 175 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक। 175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।
- (2) रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, यही मानक लागू होंगे।
- (3) 'ख' व 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, एक हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों तो एक हिंदी टाइपिस्ट पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होंगे।

1.3 मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अन्य पद:-

- (i) अनुवाद के अलावा अन्य कई प्रकार का कार्य ऐसा है जो राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे आदेशों का परिचालन करना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्त तैयार करना, कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए नामित करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि। मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में इस कार्य के लिए निम्नलिखित पदों की अनुशंसा की जाती है:-

- (क) अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टाइपिस्ट) का एक पद यह पद पहले से अस्तित्व में है जैसाकि राजभाषा विभाग के दिनांक 5.4.1989 के कांज्ञा सं० 13035/3/88-रा०भा०(ग) में उल्लिखित है।

(ख) सहायक का एक पद, उन मंत्रालयों/विभागों में तथा सहायक या उसके समकक्ष पद उन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में, जहां अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या (ग्रुप 'डी' को छोड़कर) कम से कम 310 है।

(ii) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहां उक्त कार्यों के लिए सहायक या समकक्ष पद पहले से स्वीकृत है, वहां अतिरिक्त पद अनुशंसित न किया जाए।

2. 'अनुसचिवीय कर्मचारियों, से सभी कर्मचारियों से (श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को छोड़कर) है जिनके पद लिपिक वर्गीय कार्यों के लिए मंजूर किए गए हैं भले ही वे तकनीकी या वैज्ञानिक कर्मचारी या अधिकारी हों। इसके अतिरिक्त जिन तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुसचिवीय कार्य (जैसे टिप्पण, प्रारूपण, पत्र लेखन, लेखाकरण आदि) सौंपा गया है उनको भी हिंदी पदों की गणना में शामिल किया जाए।

3. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में हिंदी पदों की जो संख्या निर्धारित की गई है वह न्यूनतम है ताकि इनकी व्यवस्था, बिना कार्य अध्ययन के, केवल कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या और कार्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, के आधार पर की जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर न पड़े। काम की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यालय में इससे अधिक पदों का यदि औचित्य हो तो उनका सृजन कार्य अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है।

4. कार्य अध्ययन करते समय उसी कार्य को ही ध्यान में न लिया जाए जो इस समय किया जा रहा है बल्कि वे कार्य की सारी मर्दें हिसाब में ली जाएं जो राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि की अपेक्षाओं के अनुसार हिंदी में या दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में किए जाने जरूरी हैं। कहना न होगा कि कार्य अध्ययन कार्यभार की मात्रा का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करके ही किया जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्यालयों में अनुवादक आदि के पद पूर्व के मानकों के आधार पर पहले से सृजित किए जा चुके हैं उन्हें इस आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित संख्या से वे अधिक हैं। तथापि, कोई भी अतिरिक्त मांग मंत्रालय/विभाग तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में समग्र रूप से फालतू पाए जाने वाले पदों से समायोजित की जाएं।

6. केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करने के लिए अनुवाद कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक पदों का सृजन किया जाना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम पदों का कोई मानदंड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

7. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानक और राजभाषा विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 1987 के कांज्ञा सं० 13017/1/81-राभा०(ग) (प्रति संलग्न) में पहले से निर्धारित अनुवाद संबंधी कार्यभार के मानक मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

8. यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक, (कर्मचारी निरीक्षण एकक) वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 26.12.2003 की अन्तर्विभागीय टिप्पणी सं० 526/एस०आई०यू०/2003 में दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रोफार्मा

| मंत्रालय/विभाग/संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय का नाम/पता ई-मेल | स्वीकृत हिंदी पदों (निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी) की संख्या | अनुसचिवीय (Ministerial) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या | क्या हिंदी के पद निर्धारित मानदंडों के अनुसार सृजित किए गए हैं (हां/नहीं) | अभ्युक्ति* |
|---|--|--|--|------------|
| | | | | |

* कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त हिंदी पदों की अपेक्षा को वर्तमान एवं भावी 5 वर्षों के पूर्वानुमान के आधार पर प्रस्तुत किया जाए।